

भाग - IV

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिए)

17. टिप्पणियों के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अंगीकार के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें।

(राय देते समय, सम्बन्धित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणियों की सुस्पष्ट समीक्षा की जाये और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाये)

CF, Meerut
.....की संस्तुति
के आधार पर स्वीकृतार्थ
संस्तुति की जाती है।

हरताक्षर

दिनांक : -

29/11/18

स्थान : -


29/11/18
Pankaj Misra
Chief Conservator of Forest/Nodal Officer
Forest Conservation Act, 1980
U.P. Lucknow

नाम और पदनाम
सरकारी मोहर